

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार सिन्हा

सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

महाधिवक्ता, बिहार,

महाधिवक्ता के कार्यालय,

उच्च न्यायालय, पटना।

पटना, दिनांक.03.03.14

विषय :- बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालयों में मामलों को संस्थित तथा संचालित करने हेतु विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति/शुल्क निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 15.02.2013 को स्क्रीनिंग समिति के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालयों में मामलों को संस्थित तथा संचालित करने हेतु निम्नलिखित अधिवक्ता की नियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित न्यायालयों के लिए करने की कृपा प्रदान की है:-

अधिवक्ता का नाम	न्यायालय का नाम
1 श्री राजेश कुमार	न्यायालय संख्या-1 पटना । (ट्रायल का कार्य करेंगे)
2 श्री ब्रजेश्वर कुमार सिन्हा	Confiscation तथा विशेष न्यायालय सं0-2, पटना के लिए।
3 श्री ब्रजेश्वर कुमार सिन्हा	न्यायालय संख्या-2, पटना। (ट्रायल का कार्य करेंगे)
4 श्री राजेश कुमार	न्यायालय संख्या-2, पटना के लिए confiscation का कार्य करेंगे।
5 श्री अरूण कुमार चौधरी	विशेष न्यायालय संख्या-1, मुजफ्फरपुर। (ट्रायल का कार्य करेंगे)
6. श्री कृष्णदेव साह	विशेष न्यायालय संख्या-1, मुजफ्फरपुर confiscation का कार्य करेंगे।
7. श्री कृष्णदेव साह	विशेष न्यायालय संख्या-2, मुजफ्फरपुर। (ट्रायल का कार्य करेंगे)
8 श्री अरूण कुमार चौधरी	विशेष न्यायालय संख्या-2, मुजफ्फरपुर confiscation का कार्य करेंगे।
9. श्री सायरस लाल	विशेष न्यायालय संख्या-1 भागलपुर। (ट्रायल का कार्य करेंगे)
10. श्री जवाहर प्रसाद	विशेष न्यायालय संख्या-1, भागलपुर confiscation का कार्य करेंगे।
11. श्री जवाहर प्रसाद	विशेष न्यायालय संख्या-2 भागलपुर। (ट्रायल का कार्य करेंगे)
12. श्री सायरस लाल	विशेष न्यायालय संख्या-2 भागलपुर confiscation का कार्य करेंगे।

(कृ०पृ०३०)

2. उपर्युक्त सभी विशेष लोक अभियोजकों को वही शुल्कादि देय होगा जो पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों को विधि विभागीय पत्रांक-3919/जे0 दिनांक 01.09.2010 द्वारा देय था।
3. इस नियुक्ति के पश्चात् पूर्व के नियुक्त सभी विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति समाप्त समझी जायेगी।
4. सभी विशेष लोक अभियोजकों से अनुरोध है कि अपना शुल्क विपत्र निगरानी विभाग, बिहार के माध्यम से प्रस्तुत करें जिसके साथ कार्य करने से संबंधित न्यायालय का मूल प्रमाण-पत्र तथा आर्डरशीट की छायाप्रति संलग्न हो। अधिवक्ताओं के अनुरोध पर adjournment होने की स्थिति में कोई शुल्क देय नहीं होगा।
5. प्रत्येक न्यायालय के प्रभारी को एक-एक कनीय अधिवक्ता अनुमान्य होगा, जिनकी नियुक्ति उनसे प्राप्त अनुशंसा के आलोक में की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या/जे0, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, सूचना भवन, पटना/ महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर/लोक अभियोजक, पटना/लोक अभियोजक, मुजफ्फरपुर/लोक अभियोजक, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या/जे0, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना/श्री ब्रजेश्वर कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना/श्री अरूण कुमार चौधरी, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर/श्री कृष्णदेव साह, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर/श्री जवाहर प्रसाद, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, भागलपुर/श्री सायरस लाल, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या/जे0, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/माननीय मंत्री, विधि एवं योजना विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव, बिहार।

03.05.14